

कार्यालय : राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण,

जयपुर महानगर-1 न्यायालय परिसर, बनीपार्क, जयपुर-302016,

क्रमांक : रा.रा.सह.अधि./2021/ 849- 852 दिनांक : 27/08/2021

:: किराये पर वाहन लेने हेतु बोली आमंत्रण ::


इस अधिकरण में एक टैक्सी वाहन (कार) दिनांक 01.09.2021 से 20.02.2022 तक निम्नानुसार किराये पर ली जानी है।

क्र.सं.	वाहन का विवरण	देय राशि
1	टैक्सी कार	26400/-प्रतिमाह (GST अतिरिक्त यदि लागू हो) 1500 किमी. की सीमा तक (जयपुर महानगर की सीमा में)

शर्त :-

- 1 वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 (04/2018) दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के बिन्दु संख्या-2(i) के अनुसार किराये का भुगतान किया जावेगा।
- 2 वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्र एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश/नियम परिपत्र प्रभावी होंगे।


अतः इच्छुक वाहन मालिक अपना वाहन किराये पर रखने हेतु सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।


अध्यक्ष,

राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि :-

- 1 सूचना पट्ट, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर।
- 2 सूचना पट्ट, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर।
- 3 सूचना पट्ट कलेक्ट्रेट, जयपुर।
- 4 सूचना पट्ट, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राज0, जयपुर।


अध्यक्ष,

राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण,
जयपुर।